



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-471 राँची, शुक्रवार,

17 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-50/2019 का०-4713--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-631/03, गृह जिला-दरभंगा), तत्कालीन अपर नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में मे० व्योम टेक्नोलॉजी लि० के द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन किए बगैर जल्दीबाजी में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करने, सरकारी राशि रु० 2,65,04,668.00 का दुरुपयोग होने, संवेदक से राशि वसूली का प्रयास नहीं करने, संवेदक पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप, जैसा कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2339, दिनांक 11.06.2019 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री रामाकांत सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
